उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19सी, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधान सभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
दूरभाष/फैक्स: 0522-2235752 फैक्स- 0522-2235806
Web-www.uppbpb.gov.in

पत्र संख्याः पीआरपीबी–चार–10(39)/2024 दिनॉकः मई 29 ,2025

सूचना/विज्ञप्ति

चयन वर्ष 2024 के सापेक्ष पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) के 54 रिक्त पदों को समूह "घ" के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों से विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु दिनांक 28.05.2025 को सम्पन्न लिखित परीक्षा के प्रश्नपत्र की उत्तर कुंजी का प्रकाशन एवं उत्तर विकल्पों पर आनलाइन आपत्ति आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में

बोर्ड की सम संख्यक विज्ञप्ति 20.05.2025 के क्रम में चयन वर्ष 2024 के सापेक्ष समूह "घ" से पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) के 54 रिक्त पदों को विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु रिक्त 54 पदों के सापेक्ष टंकण परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा दिनांक 28.05.2025 को सम्पन्न की गयी।

2– उक्त लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी/प्रश्नपत्र में दिये गये प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प बोर्ड की वेबसाइट https://uppbpb.gov.in/ पर दिये गये लिंक के माध्यम से प्रकाशित किये जा रहे हैं, अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि उत्तर विकल्पों के सम्बन्ध में आनलाइन आपत्तियां, यदि कोई हों, तो बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से दिनांक 01.06.2025 को रात्रि 12:00 बजे तक दर्ज कर सकते हैं।

3– दिये गये उपरोक्त लिंक पर क्लिक कर लिखित परीक्षा का अनुक्रमांक एवं जन्मतिथि अंकित कर प्रत्येक अभ्यर्थी अपने प्रश्नपत्र/उत्तर कुंजी को देख सकेंगे एवं आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। आपत्ति दर्ज कराने हेतु अभ्यर्थी को प्रश्न संख्या चुनना होगा और उसके सम्बन्ध में आपत्ति अंकित करनी होगी। अभ्यर्थी आपत्ति के समर्थन में पुष्टिकारक साक्ष्य/तर्क/सन्दर्भ (Source) को स्कैन कर PDF या JPG फारमेट में अपलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा बोर्ड की वेबसाइट पर दिये गये लिंक के माध्यम से की गयी आपत्ति ही मान्य होगी। अन्य किसी माध्यम (ई–मेल/डाक आदि) से प्राप्त आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। जिस प्रश्न के सम्बन्ध में एक बार आपत्ति दर्ज की जा चुकी है, उस पर पुनः आपत्ति नहीं की जा सकेगी। अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि आपत्ति दर्ज करने से पूर्व उसका भली भांति परीक्षण करने के उपरान्त ही आपत्ति दर्ज करें।

4– यद्यपि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गयी है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिये बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और न ही त्रुटि पाये जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा या अनुमन्य होगा।

29/5/25
अपर सचिव, प्रोन्नति
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।